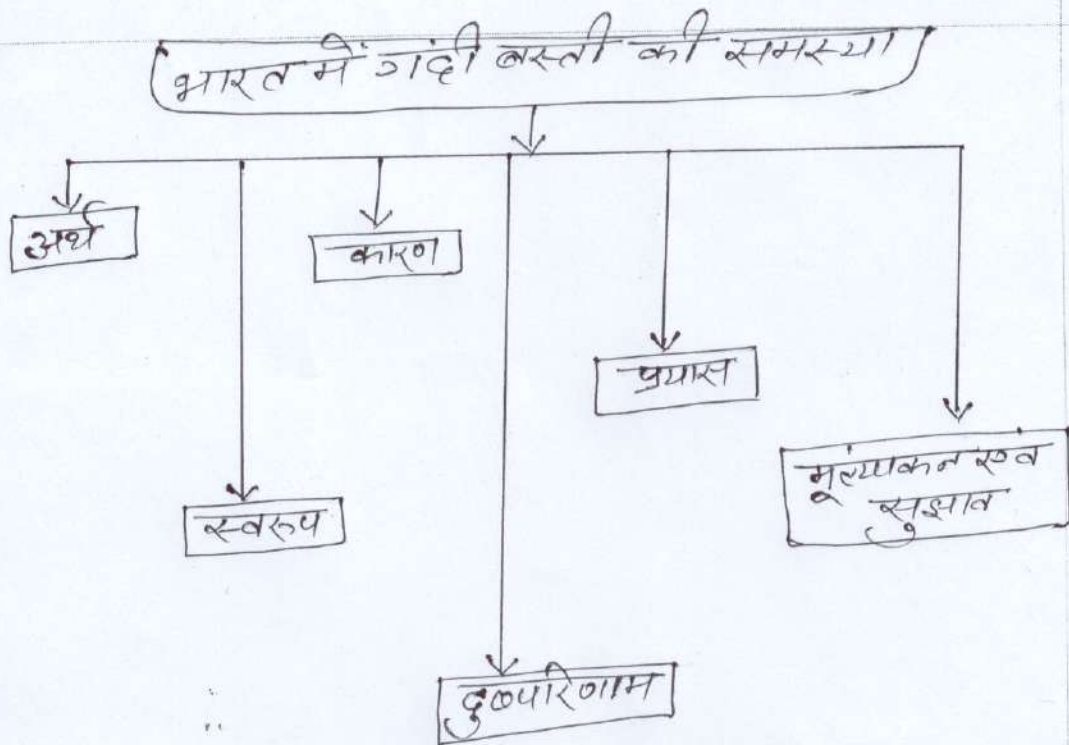




अर्थ:

नगरीय क्षेत्रों में अवस्थित आवासीय समूह जिसका स्तर आवासीय निम्न होता है, गांधी बस्ती (Slums) कहलाता है।

2001/2011 की जनगणना के अनुसार एक छोटे घने क्षेत्र जिसकी जनसंख्या कम से कम 300 या लगभग 60-70 गरीब परिवार जो कि अस्वास्थ्यकर वातावरण में सामान्यतः अनुपयुक्त आधारभूत सुविधाएँ जैसे - पीने का पानी एवं सफाई सुविधा के अभाव में निवास करते हैं, को चिह्नित गांधी बस्ती माना जाएगा।

स्वरूप: गंदी बस्तियों का विकास भारतीय नगरीकरण की एक प्रमुख समस्या है, जहाँ 2001 में 6.18 करोड़ लोग गंदी बस्तियों में रहते थे वहीं 2011 में यह संख्या 10.36 करोड़ हो गयी है (कुल नगरीय जनसंख्या का 27.5%)

→ भारत में गंदी बस्तियों में रहने वाले कुल आबादी का 57% तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र में रहते हैं।

→ भारत में गंदी बस्ती में रहने वाले 35% घरों को पीने का साफ पानी उपलब्ध नहीं है।

→ भारत के गंदी बस्तियों में 63% घरों से गंदे पानी की निकासी का कोई संबंध नहीं है।

गंदी बस्ती के दुष्परिणाम / समस्यात्मक पहलू

- स्वास्थ्य पर दुष्प्रभाव।
- अग्निकों की कार्यक्षमता पर दुष्प्रभाव।
- व्यक्ति, परिवार एवं समुदाय पर दुष्प्रभाव।
- विभिन्न प्रकार की अपराधिक गतिविधियों में रुचि।

गंदी बस्तियों के विकास के कारण :

- ग्रामीण-नगरीय प्रवास (National Institute for Urban Affairs)
- नगर में आवास की अपर्याप्तता (NIUA)
- नगर भूमि नीति (NIUA)
- नगरीय गरीबी, बेरोजगारी एवं निम्न मजदूरी।
- मुद्रास्फीति एवं महंगा किराया।
- स्वयं भाड़िया।

भारत में गंदी बस्तियों के उन्मूलन / समस्या समाधान हेतु किए गए प्रयास :

प्रत्यक्ष प्रयास / Direct Effort

- विभिन्न सरकारी संस्थाओं एवं गैर-सरकारी संस्थाओं के द्वारा स्वयं के लोगों की आवश्यकता-पूर्ति और समस्या समाधान की दिशा में किए गए प्रयास
- राजीव आवास योजना 2011
- स्वयंमुक्त भारत मिशन 2013
- सबके लिए आवास योजना 2015

परोक्ष प्रयास / Indirect Effort: प्रतिनगरीकरण तथा नगरों के बाहरी क्षेत्र एवं satellite town का विकास करके। साथ ही NCR विस्तार योजना के द्वारा - नगरीय आबादी को नगर से बाहर की ओर विकेंद्रित करने के रूप में किया गया प्रयास।

→ ग्रामीण विकास के द्वारा ग्रामीण - नगरीय प्रवास को रोकने हेतु किये गये प्रयास।

मूल्यांकन एवं सुझाव:-

→ निश्चित रूप से उद्योग प्रयासों के द्वारा स्लम की समस्या समाधान की दिशा में प्रगति हुई है।

→ परंतु अभी भी हम अपेक्षित लक्ष्य से दूर हैं और 2001 की तुलना में 2011 में स्लम की जनसंख्या (10.36 करोड़ / कुल नगरीय आबादी का 27.5%) बढ़ी है।

→ इसका प्रमुख कारण आर्थिक सुधार (1991) के बाद ग्रामीण - नगरीय विषमता में वृद्धि चलते देखे ग्रामीण - नगरीय प्रवास है।

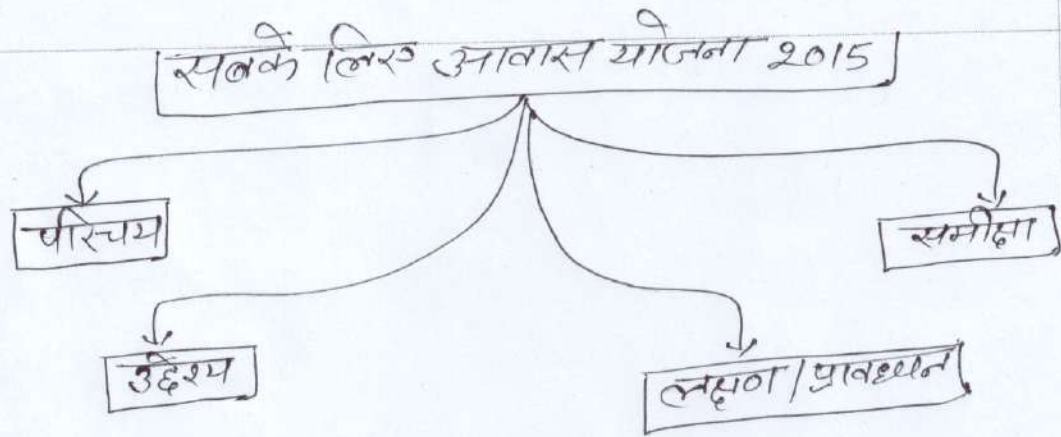
→ इसलिये एक तरफ ग्रामीण-नगरीय प्रवास को रोककर तो दूसरी तरफ गाँदी बस्ती में रहने वाले लोगों को आवास एवं रोजगार उपलब्ध कराकर सामल्य का स्थाई समाधान किया जा सकता है।

→ इस दिशा में और बेहतर प्रयास करने के लिए वर्ष 2011 में राजीव गाँधी आवास योजना को शुरू किया गया। इसे और बेहतर बनाने के लिए वर्ष 2013 में मलिन बस्ती मुक्त भारत मिशन - को शुरू किया गया।

KGS



IAS



परिचय : 25 जून 2015 को प्रारम्भ नगरीय गरीबों के आवास विकास हेतु एक केन्द्र प्रायोजित कार्य, क्रम है।

उद्देश्य : आवासियों के साथ-साथ शहरी गरीबों के आवास आवश्यकता को पूरा करना तथा 2022 तक सभी के लिए आवास उपलब्ध करवाना।

लक्ष्य/प्रावधान :

→ भूमि का संसाधन के रूप में उपयोग करते हुए निम्न भागीदारी से आवासियों हेतु स्वयं पूर्णवास का प्रावधान किया जाये।

→ जहाँ से जुड़ी व्यापक साविसी के माध्यम से शहर के गरीब वर्ग के लिए किफायती आवास को प्रोत्साहन देना।

→ सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्र के भागीदारी (PPP) के तहत किफायती आवास उपलब्ध करवाना

→ इस योजना से लाभान्वित वही व्यक्ति होगा जिसके परिवार के किसी भी सदस्य के नाम से भारत के किसी भी क्षेत्र में अपना मकान नहीं होगा।

→ इस योजना के तहत नौ राज्यों के 305 शहरों की पहचान और 2022 तक शहरी गरीबों के लिए आवास बनाने का प्रावधान किया गया।
(26 December 2018 को शहरी आवास एवं गरीबी उपसमन मंत्रालय के रिपोर्ट के अनुसार 58 हजार घर बनाने का लक्ष्य था, लेकिन मात्र 31 हजार घरों का निर्माण हुआ।)

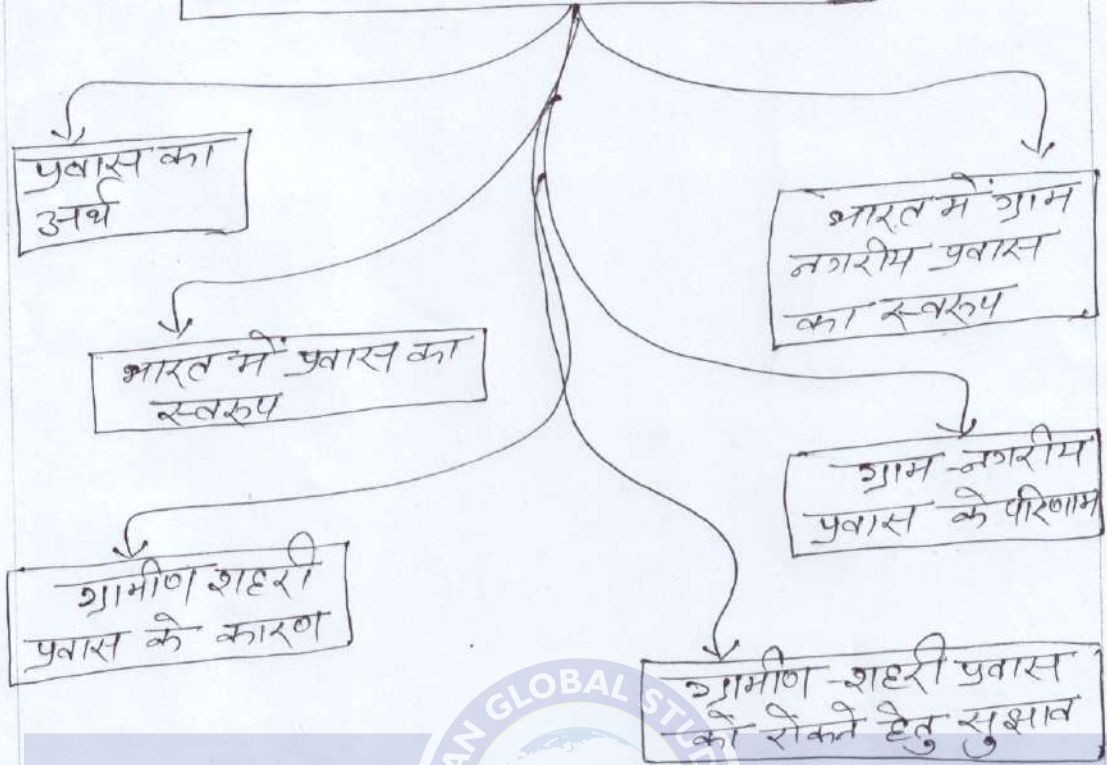
↓
Note: हाल में प्रधानमंत्री आवास योजना के संदर्भ में केंद्र सरकार द्वारा पुनर्निर्माण इंडेक्स जारी किया गया। (2020-21 के लिए) - इसके अनुसार

- आरक्षण 82.86% के साथ प्रथम स्थान पर रहा।
- राजस्थान 82.14% के साथ दूसरे स्थान पर रहा।
- महाराष्ट्र 76.06% के साथ तीसरे स्थान पर रहा।

PMAY की समीक्षा: निश्चित रूप से उपर्युक्त योजना नगरीय श्रम योजना से जुड़ी समस्याओं से सामाजिक के दिशा में एक महत्वकांक्षी परियोजना है, इसमें पहले संचालित राजीव गांधी आवास योजना और श्रम मुक्त भारत मिशन के कमीषों को पूर करते हुए आवास निर्माण की स्वअभिप्रेरणा में शहरी तथा निम्न आजीवारी को बहाने के साथ साथ नगरीय भूमि को संसाधन के रूप में प्रयोग करने पर बल देकर नगरीय विकास के अन्य छंटकों के साथ इसे स्कीकृत करने का प्रयत्न किया गया है।

परंतु इस योजना की सफलता इस बात पर निर्भर करती है, इसमें जनसहभागिता को बहाने हुए नियंत्रित एवं संतुलित 'P.P.' के तहत भूदाचार मुक्त रूप से एवं बृहद् इच्छा शक्ति के साथ लागू किया जाए।

भारत में ग्रामीण-नगरीय प्रवास



प्रवास का अर्थ: जब कोई व्यक्ति या समूह मुख्यतः रोजगार हेतु किसी नए स्थान पर एक सप्ताह या उससे अधिक अधिवास का काम करता है, तो इसको प्रवास की संज्ञा दी जाती है।

भारत में प्रवास का स्वरूप:-

- ग्राम-ग्राम प्रवास
- ग्राम-नगरीय प्रवास
- नगरीय-नगरीय प्रवास
- नगरीय-ग्राम प्रवास

भारत में ग्रामीण-नगरीय प्रवास का स्वरूप :

→ मुख्यतः बीमारु राज्यों से 2.5 लाख दिल्ली से प्रति वर्ष ।

→ मुख्यतः बीमारु राज्यों से 1.5 लाख मुंबई व गुजरात में प्रति वर्ष

→ मुख्यतः बिमारु राज्यों से 50,000 पंजाब में कृषि कार्य करने हेतु प्रति वर्ष

भारत में ग्रामीण-नगरीय प्रवास के परिणाम :

→ नगरीय समाज पर प्रभाव

→ ग्रामीण समाज पर प्रभाव

ग्रामीण-शहरी प्रवास के कारण :

→ धकेलने वाले कारक / push factors :-

• ग्रामीण विकास की धीमी-गति और समुचित रोजगार का अभाव

• ग्रामीण क्षेत्र में सामंती प्रवृत्ति, अस्पृश्यता, जाति संघर्ष एवं नक्सलवाद

• नगरों की तुलना में गाँवों में अवसंरचनात्मक सुविधाओं की धीमी गति ।

खींचने वाले कारक / Pull factors:

- नगरों में तीव्र औद्योगीकरण एवं रोजगार की उपलब्धता

- नगरीय संस्कृति का आकर्षण

- नगरों में समानता युक्त माहौल में काम करने का अवसर

भारत में ग्रामीण-नगरीय प्रवास को रोकने हेतु किये गए प्रयास:

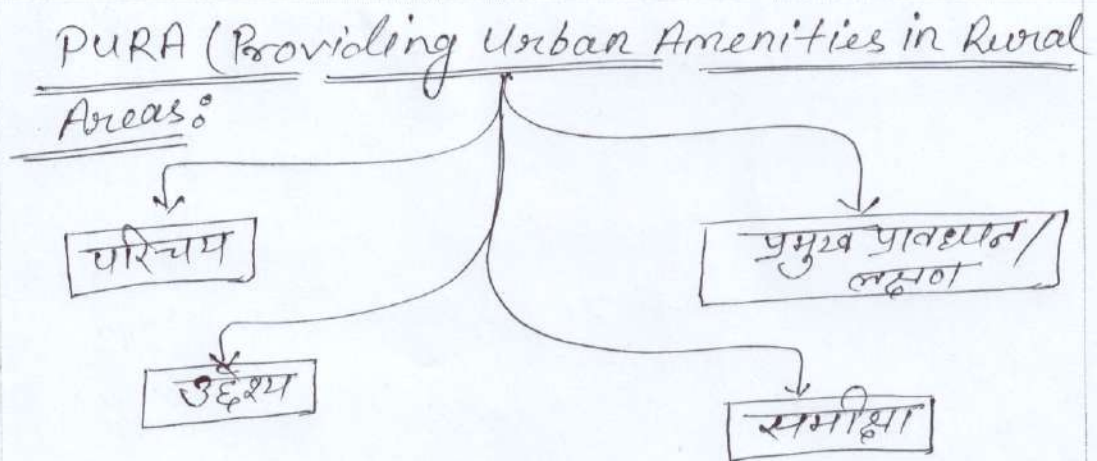
→ गाँव पर समग्र विकास परबल और विभिन्न ग्रामीण विकास कार्यक्रमों का क्रियान्वयन।

→ मनरेगा

→ PURA

→ श्यामा प्रसाद मुखर्जी ररबन मिशन

KHAN SIR



PDF Notes



श्यामा प्रसाद मुखर्जी ग्रामीण शहरी मिशन 2015

परिचय: ग्रामीण विकास के लिए एक केन्द्रित योजना 16 September 2015 को केन्द्रीय मंत्रीमंडल द्वारा मंजूरी और घोषणा तथा 21 Feb 2016 को प्रधानमंत्री द्वारा हलीसगढ़ के राजनन्द गांव से इस मिशन की शुरुआत की गयी।

उद्देश्य: ग्रामीण इलाकों में शहर की तरह आर्थिक सामाजिक एवं बुनियादी संरचनात्मक विकास को प्रोत्साहित करते हुए तथा सरकार को शामिल करते हुए स्मार्ट गांवों का निर्माण करना।

लक्ष्य / प्रावधान:

- गांव में शहरी जैसी 12 बुनियादी सुविधाएँ जैसे - स्वास्थ्य सुविधा, सप्लाई पानी, सफाई एवं कचरा प्रबंधन आदि उपलब्ध करवाना।
- बुनियादी संरचना के विकास के साथ कौशल विकास एवं स्थानीय उद्योगों पर विशेष बल देने हुए आर्थिक गतिविधियों को प्रोत्साहित देना।
- 2014-20 तक 300 कलस्टर (प्रत्येक कलस्टर में 25-50 गांव शामिल) के विकास का प्रावधान तथा पहल चरण में (100 कलस्टर के विकास का

प्रावधान

→ इस क्लस्टर में 25-50 गांवें शामिल हिस में मैदानी - खेती-वर्गीय क्षेत्रों में 25 हजार से 50 हजार जनसंख्या तथा पहाड़ी एवं रेगिस्तानी एवं जनजातीय क्षेत्रों में 5 हजार से 15 हजार जनसंख्या वाले ग्राम पंचायतों को शामिल करने का प्रावधान है।

→ इस मिशन हेतु केंद्रीय मंत्रीमंडल द्वारा 5142 करोड़ रुपये को मंजूरी दी गयी है।

→ इस मिशन हेतु केंद्र द्वारा 30% वित्तिय सहायता का प्रावधान तथा अनेक स्तर पर मौजूद अनेक ग्रामीण विकास योजनाओं का प्रावधान।
समीक्षा एवं सुझाव

→ निश्चित रूप से ग्रामीण विकास द्वारा ग्रामीण नगरीय प्रवास को रोकने और अति नगरीकरण की समस्या के समाधान में यह एक महत्व-कांक्षी योजना है, जो एक तरफ ग्रामीण विकास द्वारा ग्रामीण - नगरीय विसमता को दूर कर के एक संतुलित विकास की तरफ उन्मुख है, तो दूसरी तरफ भारत सरकार की महात्माकांक्षी योजना की सफलता के लिए भी एक पूर्व शर्त के रूप में क्रियाशील है। इस योजना को सफल बना कर ही स्मार्ट सिटी मिशन की सफलता के लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है।

नगरीकरण/नगरों से संबंधित अन्य समस्याओं
के समाधान हेतु किए गए प्रयासः-



शहरी गरीबी उन्मूलन हेतु किए गए प्रयासः-

- स्वर्ण जयंती रोजगार योजना (1997)
- राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (2014)

शहरी पर्यावरण की समस्या समाधान हेतु किए
गए प्रयासः

- 1984 में - पर्यावरण प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का गठन।
- 2010 में - पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा अपशिष्ट प्रबंधन एवं निपटान नियम
- यूरो-या - मानक को संपूर्ण देश में 1 अप्रैल 2020 से अनिवार्य कर दिया गया

मुख्यतः दिल्ली में जवाहर यात्रिका के माध्यम से प्रदूषण नियंत्रण हेतु किए गए प्रयास - ओखला की जगह नौयडा का विकास; CNG की अनिवार्यता तथा दिल्ली सरकार और अन्य राज्यों की सरकारों द्वारा किए गए प्रयास।

शहरी स्वास्थ्य विकास हेतु किये गये प्रयासः

- 1986 - राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद् का गठन
- 1990 - राष्ट्रीय जल बोर्ड का गठन
- 2012 - राष्ट्रीय जल नीति का निर्माण
- 2008 - राष्ट्रीय जल नीति का निर्माण
- 2013 - राष्ट्रीय शहरी स्वच्छता मिशन
- 20 अक्टूबर, 2014 - स्वच्छ भारत अभियान

शहरों की सामाजिक समस्या के समाधान हेतु किये गये प्रयासः

- परिवार परामर्श केंद्र की स्थापना
- नशाखोरी उन्मूलन केंद्र की स्थापना
- सरकार एवं NGO द्वारा अनाथालयों एवं
हस्ताश्रम की स्थापना

Q8=

संभावित प्रश्न



PDF Notes